

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
आर०सी०आर० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
अगस्त, गोरानारिक, जिला-सुल्तानपुर।

पत्रांक: /टी-3/रा०प०/गोरानारिक/संस्तुति लखनऊ दिनांक: 19.11.2009

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28/06/2009 पर दिनांक 17/08/2009 को महानिदेशालय, सेवायोजना एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् कि उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्हरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुबंध किया गया।	स्थायी समिति द्वारा		अनुमति
		डी०जी०ई०टी० द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1	Electrician 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR- 28/06/2009 W.e.f. Aug 2009
2	Fitter 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	

DGFT-6/24/166/2009-TC DATED 17/08/2009

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एन०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०-विचाराधीन
- (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

- 2 आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साध्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों का मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों का आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(सहायक देव)

अपर निदेशक/निदेशक (प्रशि/शिष्)

पत्रांक 22/11/टी-3/रा०प०/गोरानारिक/संस्तुति/

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिष्) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अमने स्वर से अवगत करायें।
- 2 संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 3 फाईल हेतु।
- 4 उपनिदेशक व्यवसायिक परीक्षा परिषद, अलीगढ़, लखनऊ।

अपर निदेशक/निदेशक (प्रशि/शिष्)